

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट दूदू

पीठारीन अधिकारी - श्री रतनलाल योगी (आर.ए.एस)

निगरानी संख्या - 03/2023

निर्णय दिनांक - 29.12.2023

मनोहर सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी साली जिला दूदू  
बनाम समस्त जातियान यादव निवासीयान ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला  
दूदू राजस्थान

- निगरानीकर्ता / प्रार्थी

बनाम

- 1 राज्य सरकार सरपंच ग्राम पंचायत साली जिला दूदू
2. शिवराम पुत्र नाथू चौधरी जाति जाट निवासी साली जिला दूदू

- गैर निगरानीकर्ता / अप्रार्थी

निगरानी कर्ता अधिवक्ता लोकेन्द्रसिंह

गैर निगरानी कर्ता अधिवक्ता भैरूलाल शर्मा

अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 22.10.2021  
द्वारा ग्राम पंचायत साली पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर बाबत पट्टा  
संख्या 08


निर्णय

यह प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 22.10.2021 द्वारा ग्राम पंचायत साली पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर बाबत पट्टा संख्या 08 पेश की गई। जिसका संक्षेप सार इस प्रकार से है:-



यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साली द्वारा आदेश दिनांक 22.10.2021 को जारी पट्टा संख्या 08 न्याय नियम व विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2 यह कि दिनांक 22.10.2021 को जो पट्टा जारी किया गया है। वह न्याय नियम कानून एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय साम्या के सिद्धान्त से प्रतिकूल होने से काबिले खारिज है।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूदू

3. यह कि निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा एवं स्वामित्व व अधिपत्य का भूखण्ड वाके ग्राम सात्नी पंचायत समिति दूर जिला जयपुर की आवादी भूमि में स्थित है। जो गढ की भूमि में स्थित है। निगरानीकर्ता की ग्राम के मध्य में पुरतेनी गढ स्थित है। उस गढ की सीमा में उक्त पटटा नाप से बढकर जारी किया गया है। जो कि गलत रूप से जारी किया गया है।

4 यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस जगह का पटटा जारी किया गया है। उस पर रेसोडेन्ट संख्या 2 का कमी कब्जा नहीं रहा है। बल्कि वह जगह निगरानीकर्ता की गढ की सीमा की जगह है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा रहा है। तथा उपयोग उपभोग में तेता रहा है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है।

5. यह कि वादग्रस्त भूखण्ड का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से साजकर बिना मौके पर जाँच किये कब्जे के गलत नक्शा कशीद कर फर्जी पटटा बनवाया है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई अधिकार सृजित नहीं होते है एवं ऐसा पटटा निरस्तनीय है। राजनैतिक द्वेषतावश अप्रार्थी संख्या 2 ने जानबुझकर सरपंच से नुमाईशी पटटा बना दिया।

6. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत पर विवादित भूखण्ड का पटटा अपने हक में जारी करवा लिया है। जो वमुकाबिले निगरानीकर्ता के प्रभावहीन व शून्य है।

7. यह कि उक्त पटटेशुदा भूमि जिसका पटटा अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया गया था। जो कि गलत है। जबकि वास्तव में प्रार्थी वर्षों से गढ की सीमा कायम कर उपयोग प्रार्थी का ही चला आ रहा है। अधिनस्थ विद्वान ग्राम पंचायत सात्नी ने इस अहम तथ्य पर भी गौर नहीं कर गलत रूप से कब्जे के विपरित जाकर पटटा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में जारी किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 की सरपंच व गावाहन से मिलीभगत है। जो सरकारी कर्मचारीयों से साजकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से पंचायत से नूमाईशी पटटा प्राप्त कर लिया जो निरस्तनीय है।

8. यह कि विवादित भूखण्ड प्रार्थी विवादित भूखण्ड का मालिक है एवं वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ विद्वान ग्राम पंचायत सात्नी ने मौके की वास्तविक स्थिति की जाँच नहीं कर आनन फानन में बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही प्रश्नगत पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

9 यह कि ग्राम पंचायत ने मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के स्वयं शपथ पत्र के आधार पर ही आवादी भूमि मानी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का कोई जाँच नहीं की है। प्रस्ताव संख्या..... व दिनांक ..... रकम का हवाला नहीं है। जिसमें पटटा प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रतीत होता है।



20/1  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
दूर

10. यह कि गवाहान के बयान साइबिलोरटार्डल रूप से टाईप किये हुये पोपरो पर मात्र साइन कराये है।

11. यह है कि प्रार्थी को उक्त पटटे की कभी भी जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी शान्ती पुर्वक अपने भूखण्ड का उपयोग कर रहा था। आज तक प्रार्थी के कब्जे व उपयोग मे किसी ने बाधा उत्पन्न नहीं की। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 ने मौके पर युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चालू करने पर उतारू होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने उक्त पटटे के बारे में जानकारी की एवं दिनांक 25.5.2023 को पटटे की नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को उक्त उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे दिनांक 22.10.2021 की प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित नकल प्राप्त कर अभील पेश की। तथा सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत साली द्वारा जारी पटटा संख्या 08 दिनांक 22.10.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। तथा मूल रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 की और से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी पेश किया। उसके तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रत्युत्तर पेश किया। उभय पक्ष की उपस्थिति में बहस को सुना गया। बहस को सुनने के पश्चात प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी को अस्वीकार किया गया। तथा ग्राम पंचायत साली के आदेश दिनांक 22.10.2021 पटटा संख्या 08 में अंकित भूखण्ड का दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौके पर जाकर निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तहसीलदार दूदू के द्वारा मंगवाई गई।

उभय पक्ष बहस हेतु उपस्थित हुये। बहस हेतु समय दिया गया। जिसमे प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की पुर्व में ही काफी समय दिया जा चुका है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि वह इस मामले में विलम्ब चाहता है। तथा अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो न्याय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अतः बहस को एक तरफा सुना जाकर मेरिट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जावे। तत्पश्चात एकतरफा बहस को सुना गया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने मौखिक कथन में कहा की खसरा संख्या 2397 रकबा 10.34 हैक्ट0 गैर मुमकिन आबादी साली में अवस्थित है। जिसमे नियम 157 (1) पंचायत राज नियम 1956 के तहत प्रावधानों के नियमानुसार ग्राम पंचायत साली द्वारा जारी किया गया है। तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के कानूनी प्रावधानों के तहत आवंटन विहित राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी का कोई हित निहित नहीं है। न ही उसका इसमें कोई सम्बन्ध सरोकर है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 मकानात सनिर्भित होकर विद्युत व पानी का कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग व उपभोग कर रहा है। अपीलान्ट पुर्व में ग्राम पंचायत साली मे सरपंच के पद पर रहा है। जो राजनैतिक द्वेष रखता है। जिससे अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से यह कार्य किया है। अगर प्रार्थी को पटटे के सम्बन्ध में कोई



परेशानी थी तो प्रथम अपील तो पंचायत समिति दूदू में करनी चाहिए थी। जो नहीं की गई। अतः निगरानीकर्ता की अपील नियाम व विधि विरुद्ध पेश की गई है। निगरानी खारिज योग्य है। जिसो गैरनिगरानीकर्ता के वकील ने खारिज किये जाने को निवेदन किया।

हमने बहस को सुनने के पश्चात प्रस्तुत रिकार्ड व तहसीलदार दूदू द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन व मनन करने पर पाया की मूल रिकार्ड अनुसार 17.8.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत साली पंचायत समिति दूदू में पट्टा चाहने को आवेदन किया गया था। उक्त मकान के स्वत्व एवं स्वामित्व का पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का अबोध रूप से स्थाई मानते हुये पुराने गृहो का विनियमितकरण राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत नियमानुसार पट्टा शुल्क जमा कर दिनांक 22.10.2021 को पट्टा संख्या 08 जारी किया गया है। तहसीलदार दूदू की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2023 में विवादित भूमि पर पुराना कब्जाशुदा भूखण्ड है। जो निर्माण किया गया है वह भी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे की निर्धारित सीमा में ही किया गया है। अतः ग्राम पंचायत साली तहसील दूदू द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 22.10.2021 विधिसंगत व नियमानुसार किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो तथा नम्बर से कम हो।



  
रतनलाल योगी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
दूदू राजनो